रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 895] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2016/पौष 8, 1938
No. 895] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2016/PAUSA 8, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1184(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) पांचवां संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम 01 जनवरी, 2017 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, —

3. मूल नियमों में, —

(क) नियम 4 के उपनियम (2) में 'प्ररूप संख्या आईएनसी-2 में ऐसे नामांकन और उसके साथ प्ररूप संख्या आईएनसी-3 में प्राप्त ऐसे नामांकन की सहमति' शब्दों और अंकों को 'प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई) (में ऐसे नामांकन और उसके साथ प्ररूप संख्या आईएनसी-3 में प्राप्त ऐसे नामांकन की सहमति' शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) नियम 10 में 'प्ररूप संख्या आईएनसी-7' शब्दों और अंकों को 'प्ररूप संख्या आईएनसी-7 या प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई)' शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) नियम 12 में 'प्ररूप संख्या आईएनसी-2 (एक व्यक्ति कंपनी के लिए) और प्ररूप संख्या आईएनसी-7 (एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर)' शब्दों और अंकों को 'प्ररूप संख्या आईएनसी-7 (भाग-I कंपनी और सात हस्ताक्षरकर्ताओं से अधिक वाली कंपनी) और प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई)' शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) नियम 36 का लोप किया जाएगा।

(ड.) नियम 38 को निम्नलिखित नियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"38 कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा (एसपीआईसीई).-

(1) इस नियम के अधीन किसी कंपनी के निगमन के लिए आवेदन प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई) के साथ प्ररूप संख्या आईएनसी-33 में ई-संगम ज्ञापन (ई-एमओए) और प्ररूप संख्या आईएनसी-34 में ई-संगम अनुच्छेद (ई-एओए) के साथ किया जाएगा।

परंतु कि इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन आने वाली किसी कंपनी के निगमन के मामले में प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई) को संलग्नकों के रूप में प्ररूप संख्या आईएनसी-13 (संगम ज्ञापन) और प्ररूप संख्या आईएनसी-31 (संगम अनुच्छेद) के साथ फाइल किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए **एक व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनी के लिए प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई)** में प्रस्तावित कंपनी के अधिकतम तीन निदेशकों को निदेशक पहचान संख्या का आवंटन करने, नाम का आरक्षण करने, कंपनी का निगमन करने और निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए आवेदन रजिस्ट्रार, जिसकी अधिकारिता में कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है, को कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथाविहित पंजीकरण शुल्क के अलावा **पांच सौ रुपए की फीस** के साथ फाइल किया जाएगा:

परंतु कि यदि आवेदक ने नियम 9 के अधीन नाम के आरक्षण के लिए आवेदन किया है और उसे अनुमोदित कर दिया गया है तो वह आरक्षित नाम कंपनी के प्रस्तावित नाम के रूप में भर सकता है।

(3) एसपीआईसीई प्ररूप फाइल करने के प्रयोजनों के लिए अधिकतम तीन निदेशकों की विशिष्टियां प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई) में भरने की अनुमति दी जाएगी और यदि प्रस्तावित निदेशकों के लिए निदेशक पहचान संख्या अनुमोदित न हो तो उस मामले में प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई) में अधिकतम तीन प्रस्तावित निदेशकों के निदेशक पहचान संख्या के आवंटन की अनुमति दी जाएगी।

(4) प्रस्तावित कंपनी का संप्रवर्तक या आवेदक प्ररूप संख्या आईएनसी संख्या-32 (एसपीआईसीई) में केवल एक नाम का प्रस्ताव करेगा।

(5) प्रस्तावित कंपनी का संप्रवर्तक या आवेदक नियम 13 के अनुसरण में प्ररूप संख्या आईएनसी-33 में संगम ज्ञापन (ई-एमओए) और प्ररूप संख्या आईएनसी-34 में संगम अनुच्छेद (ई-ईओए) तैयार करेगा।

परंतु कि, इस ई-संगम ज्ञापन और ई-संगम अनुच्छेद पर हस्ताक्षरकर्ताओं और गवाह या गवाहों के अंकीय हस्ताक्षर होंगे।

(6) इस नियम में यथाविहित आवेदन का प्रयोग करते हुए निगमन के लिए इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के उपखंड (i), नियम 9, और नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (क) के उपबंध हाल ही में ली गई फोटो लगाने के संबंध में लागू नहीं होंगे।

(7) इस नियम के उपबंधों का उपयोग करने वाली कंपनी प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई) फाइल करके इस अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन भेज सकती है और इस मामले में वह कंपनी नियम 25 के उपनियम (2) में यथाउल्लिखित कोई दस्तावेज प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई) के साथ संलग्न करेगी।

(8) यदि प्रस्तावित कंपनी अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय दिए गए पत्र व्यवहार पते पर रखती है तो प्ररूप संख्या आईएनसी-22 फाइल करना अपेक्षित नहीं होगा।

(9) (क) यदि रजिस्ट्रार प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (एसपीआईसीई) की जांच करने पर यह पाता है कि आगे और सूचना अपेक्षित है या किसी प्रकार से उक्त आवेदन या दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण है तो वह आवेदक को त्रुटियां दूर करने और रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी सूचना देने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर ई-प्ररूप दोबारा प्रस्तुत करने के लिए कहेगा।

(ख) दस्तावेज पुन: प्रस्तुत करने के बाद यदि रजिस्ट्रार यह पाता है कि वह दस्तावेज अभी भी किसी प्रकार से त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण है तो वह ऐसी त्रुटियों या कमियों को दूर करने के लिए पंद्रह दिन का एक और अवसर देगा।

परंतु कि दस्तावेजों को पुन: प्रस्तुत करने की कुल अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होगी।

(10) रजिस्ट्रार द्वारा निगमन प्रमाण पत्र प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में जारी किया जाएगा।

4. मूल नियमों में, —

(क) प्ररूप संख्या आईएनसी-2 का लोप किया जाएगा;

(ख) प्ररूप संख्या आईएनसी-7 के लिए निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

प्ररूप संख्या आई.एन.सी.7

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा *7(1)* तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 10, 12, 14 एवं 15 के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

कंपनी के निगमन के लिए आवेदन पत्र (भाग-I कंपनी और सात हस्ताक्षरकर्ताओं से अधिक वाली कंपनी)

IndiaCode

प्ररूप की भाषा 0 अंग्रेजी 0 हिन्दी

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट पढ़ें।

1. * प्ररूप आई. एन. सी.1 का सेवा अनुरोध संख्या (एस. आर. एन.) [] पूर्व पूरित

2. (क) कंपनी का नाम []

(ख) कंपनी का प्रकार [] (ग) कंपनी की श्रेणी []

(घ) प्रवर्ग [] (ङ) उप उपवर्ग []

(च) धारा 8 अनुज्ञप्ति संख्या []

* (छ) कंपनी o शेयर पूंजी वाली है o बिना शेयर पूंजी वाली है ।

3. (क) राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है।

[]

(ख) कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम जिसमें कंपनी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है।

[]

(ग) * क्या पत्राचार के लिए पता कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता होगा।

□ हाँ □ नहीं

(घ) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थापित होने की तारीख तक पत्राचार के लिए पता

* पक्ति I

पंक्ति II

* नगर

* राज्य / संघ राज्यक्षेत्र

* जिला * पिन कोड

आई. एस. ओ. देश कोड

देश

* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस डी. कोड के साथ)

फैक्स

* कंपनी का ई-मेल आई. डी.

4. I* कंपनी की पूंजी संरचना,

(क) कंपनी की प्राधिकृत पूंजी (रु. में.

(i) साधारण अंशों के वर्गों की संख्या साधारण अंशों की कुल सं.

साधारण अंश की कुल राशि (रु. में)

साधारण अंशों की संख्या	प्रति साधारण अंश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि

(i) साधारण अंशों के प्रवर्गों की संख्या

अधिमान अंश की कुल संख्या

अधिमान अंश की कुल राशि

साधारण अंशों की संख्या	प्रति साधारण अंश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि

IndiaCode

(ख) कंपनी की कुल प्रतिभूत पूंजी (रु. में.)

(i) साधारण अंशों के प्रवर्गों की संख्या साधारण अंशों की कुल सं

साधारण अंश की कुल राशि (रु. में)

साधारण अंशों की संख्या	प्रति साधारण अंश सांकेतिक राशि	साधारण अंश की कुल राशि

(i) साधारण अंशों के प्रवर्गों की संख्या

अधिमानी अंशों की कुल संख्या अधिमान अंश की कुल राशि

IndiaCode

II.* सदस्यों की संख्या का ब्यौरा

(क) सदस्यों की अधिकतम संख्या की प्रविष्टि करें

(ख) प्रस्तावित कर्मचारियों को छोड़कर सदस्यों की अधिकतम संख्या

(ग) सदस्यों की संख्या

(घ) प्रस्तावित कर्मचारी (कर्मचारियों) को छोड़कर सदस्यों की संख्या

5. * कंपनी के औद्योगिक क्रियाकलाप का मुख्य प्रभाग

मुख्य प्रभाग का वर्णन

6. * (क) क्या प्रस्तावित कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 45 – झ के अर्थ के भीतर कोई गैर बैंककारी वित्तीय एवं निवेश (एन. बी. एफ. आई.) क्रियाकलाप करेगी। o हाँ o नहीं

(ख) यदि हाँ, तो उस तारीख की प्रविष्टि करें जिसकों भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य संबंधित विनियामक प्राधिकारी द्वारा इसे सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।

7. * प्रवर्तकों (संगम ज्ञापन के प्रथम अभिदाता) की संख्या की प्रविष्टि करें

प्रवर्तकों (संगम ज्ञापन के प्रथम अभिदाता) की विशिष्टियां

* प्रवर्ग

* निदेशक पहचान संख्या (डिन) या आय-कर स्थायी लेखा संख्या (आय-कर पैन) या पासपोर्ट संख्या या कारपोरेट पहचान संख्या (सिन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफ. सी. आर. एन.) या कोई अन्य रजिस्ट्रीकरण संख्या

पूर्व - पूरित

ब्यौरे सत्यापित करे□

* प्रथम नाम

मध्य नाम

* उप नाम

परिवार नाम

* O पिता का नाम O माता का नाम O पति / पत्नी का नाम

* राष्ट्रिकता * जन्म की तारीख

* लिंग (रेडियो बटन) □ पुरूष □ महिला □ ट्रांसजेंडर

* जन्म का स्थान (जिला और राज्य)

* उपजीविका का प्रकार स्व–नियोजित वृत्तिक होम मेकर छात्र नौकरी पेशा

* उपजीविका का क्षेत्र

* शैक्षिक अर्हता

* निकाय का नाम

* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन)

स्थाई पता / रजिस्ट्रीकृत पता / कारोबार का मुख्य स्थान

* पंक्ति I

पंक्ति II

*नगर

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र *पिन कोड

* आई. एस. ओ. देश कोड

देश

* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

मोबाइल

IndiaCode

फैक्स

* ई- मेल आई. डी.

* क्या वर्तमान पता एवं स्थायी पता एक ही है □ हाँ □ नहीं

वर्तमान पता

* पंक्ति I

पंक्ति II

* नगर

* राज्य / संघ राज्य क्षेत्र पिन कोड

* आई. एस. ओ. देश कोड

देश

* फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ)

मोबाइल

फैक्स

* वर्तमान पता पर रहने की अवधि वर्ष मास

यदि वर्तमान पता पर रहने की अवधि एक वर्ष से कम हे तो पूर्व आवास का पता

* पहचान का सबूत

* आवासीय सबूत

यदि पहले से कंपनी (कंपनियों) का निदेशक या प्रवर्तक है, तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें (यदि तीन से अधिक कंपनियों में निदेशक या प्रवर्तक है तो वैकल्पिक संलग्नक के रूप में पृथक से पत्रक (शीट) संलग्न करें।

निदेशक प्रवर्तक सी. आई. एन.

कंपनी का नाम

निदेशक प्रवर्तक सी. आई. एन.

निदेशक प्रवर्तक सी. आई. एन.

कंपनी का नाम

कंपनी का नाम

* प्रतिश्रुत शेयरों की संख्या प्रतिश्रुत शेयरों की कुल राशि (रु.में)

IndiaCode

* प्राधिकृत व्यक्तियों की विशिष्टियां

(क) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

(ख) O पिता का नाम O माता का नाम O पति / पत्नी का नाम

(ग) लिंग □ पुरूष □ महिला □ उभयलिंग

(घ) राष्ट्रीकता (ङ) जन्म की तारीख

(च) फोन (एस. टी. डी. / आई. एस. डी. कोड के साथ) -

(छ) ई- मेल आई. डी.

8. (क) * क्या अनुच्छेद की छँटनी की गई है या नहीं □ हाँ □ नहीं

(यदि हाँ, तो छँटनी किए गए अनुच्छेद को संलग्न किया जाना चाहिए)

(ख) अनुच्छेदों की संख्या जिनमें छँटनी के उपबंध लागू होंगे

अनुच्छेद के ब्यौरे जिनपर छँटनी के उपबंध लागू होंगे

क्र. सं.	अनुच्छेद सं.	विषय वस्तु

9. स्टांप ड्यूटी के संदाय की विशिष्टियां

(क) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र जिसका बाबत स्टांप ड्यूटी संदत्त किया (पूर्व पूरित)

(ख) क्या स्टांप ड्यूटी एम. सी. ए. 21 प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संदत्त किया जाना।

□ हाँ □ नहीं □ लागू नहीं

(i) संदत्त किए जाने वाले स्टांप ड्यूटी का ब्यौरा

दस्तावेज /की विशिष्टियां	प्ररूप आई.एन.सी.7	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद
संदत्त किए जाने वाले स्टांप ड्यूटी की राशि (रु. में)			

(ii) पहले संदत्त किए जाने वाले स्टांप ड्यूटी का ब्यौरा दें

दस्तावेज/विवरणियों का प्रकार	प्ररूप आईएनसी 7	संगम ज्ञापन	संगम अनुच्छेद	अन्य

IndiaCode

संदत्त स्टांप ड्यूटी की कुल राशि (रु. में)				
स्टांप ड्यूटी के संदाय की पद्धति				
वेंडर या खजाने या प्राधिकारी का नाम जो स्टांप ड्यूटी संग्रह करने या स्टांप पेपर की बिक्री करने या दस्तावेजों को उत्कीर्ण करने या सरकार की ओर से स्टांप वाउचर को संवितरित करने के लिए प्राधिकृत हैं				
उत्कीर्ण या स्टांप या स्टांप पेपर की क्रम संख्या या खजाना चलान संख्या				
वेंडर की रजिस्ट्रीकरण संख्या				
स्टांप या स्टांप पेपर की बिक्रीत या स्टांप ड्यूटी के संदाय की तारीख (दिन/मास/वर्ष)				
स्टांप या स्टांप पेपर की बिक्रीत या स्टांप ड्यूटी के संदाय का स्थान				

10. स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर कटौती खाता संख्या (टैन) आवेदन हेतु अतिरिक्त सूचना

क्षेत्र कोड		**एओ प्रकार**		**रेंज कोड**		**एओ सं.**			

पैन विशिष्ट सूचना

क्षेत्र कोड		**एओ प्रकार**		**रेंज कोड**		**एओ सं.**			

टैन विशिष्ट सूचना

आय का स्रोत

- ☐ **व्यापार/वृत्ति से आय**
- ☐ **पूंजी अभिअभिलाभ**
- ☐ **गृह संपत्ति से आय**
- ☐ **अन्य स्रोतों से आय**
- ☐ **कोई आय नहीं**

व्यापारय/वृत्ति कोड

11. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत नियोक्ता रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त सूचना

इकाई का प्रकार o कारखाना o स्थापन

किए जा रहे कार्य/व्यापार की वास्तविक प्रकृति

ड्रॉप डाउन

कार्य उप श्रेणी

ड्रॉप डाउन

**** यह सूचना पैन और/या टैन का आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों के मामले में यह सूचना कंपनी के निगमन के समय दिया जाना अज्ञापक रूप से अपेक्षित है। यह सुविधा ई-विज पोर्टल द्वारा निर्धारित अलग प्रक्रिया के अनुसार केवल ई-विज पोर्टल पर उपलब्ध है।**

IndiaCode

संलग्नक

1) * संगम ज्ञापन

2) * संगम अनुच्छेद संलग्न करें संलग्न करें

3) * प्ररूप संख्याआई. एन्. सी. 8 में घोषणा

4) * प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 9 में ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता का शपथ पत्र संलग्न करें

5) * आवासीय पता का सबूत संलग्न करें

6) प्ररूप संख्या आई. एन. सी. 10 में नमूना हस्ताक्षर संलग्न करें

7) पहचान का सबूत संलग्न करें

8) छँटनी किए गए संगम अनुच्छेद संलग्न करें

9) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की प्रति संलग्न करें

10) प्रवर्तकों (संगम ज्ञापन के प्रथम अभिदाता) में परिवर्तन की दशा में अनापत्ति सबूत पत्र संलग्न करें

11) राष्ट्रीयकता सबूत (यदि अभिदाता कोई विदेशी राष्ट्रिक है) संलग्न करें

12) पैन कार्ड (भारतीय राष्ट्रिक की दशा में) संलग्न करें

13) विदेशी निगमित निकाय के निगमन के सबूत पत्र तथा रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता की प्रति संलग्न करें

14) संगम ज्ञापन में अभिदान के लिए प्राधिकृत करने से संबंधित सभी भागीदारों द्वारा संकल्प/सहमति या सम्मति संकल्प की प्रति

15) वैकल्पिक सहमति यदि कोई हो

IndiaCode

घोषणा

I * मैं _____ के रूप में अनुच्छेद में नामित व्यक्ति घोषणा करता हूँ कि कंपनी के रजिस्ट्रीकरण और उससे पूर्वांगी या अनुषंगी विषयों की बाबत कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मुझे यह घोषणा करने और इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने एवं इसे प्रस्तुत करने के लिए संगम ज्ञापन एवं सगम अनुच्छेद में अभिदाय करने वाले अन्य प्रवर्तकों तथा पहले निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है। यह भी घोषणा एवं सत्यापित किया जाता है कि :

1. जब कभी इस प्ररूप और उसके संलग्नकों में जो भी कथन है वह सत्य, सही एवं पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय वस्तु के लिए महत्पूर्ण सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है तथा संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद में अभिदान करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखे गए मूल अभिलेखों के अनुसार है।

2. मैंने इस प्ररूप के सभी संलग्नक देख लिए हैं और उन्हें सभी अपेक्षित संलग्नकों को इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और सुपाठ्य के रूप में सत्यापित किया है।

3. जिसकी सदस्यता संख्या _____ और/या व्यवसाय सबूत पत्र संख्या _____ है, को धारा 7 (1) (ख) के अधीन घोषणा करने के लिए नियुक्त किया गया है तथा ऐसी घोषणा संलग्न है।

4. मैं [] आवेदक, [] की हैसियत में यह घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कुछ कहा गया हैं वह मेरी सूचना और विश्वास के अनुसार सही है।

*अंकीय हस्ताक्षर किया जाए [डी. एस. सी. बॉक्स]

* पदनाम []

* निदेशक पहचान संख्या []

टिप्पण : धारा 7(5) एवं 7(6) के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ – साथ यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सूचना की कोई सही या मिथ्या विवरणियाँ प्रस्तुत करने या किसी सूचना को छिपाने के लिए धारा 447 के अधीन धोखाधड़ी की सजा होगी। धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमश: मिथ्या कथन एवं मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध किया गया है।

[उपांतरित करें] [प्ररूप की जाँच करें] [संवीक्षा पूर्व] [प्रस्तुत करें]

IndiaCode

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एस. आर. एन.) [] ई-प्ररूप प्रस्तुत करने की तारीख [] (दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत []

यह ई-प्ररूप एतद्वारा अस्वीकृत []

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का अंकीय हस्ताक्षर [] जमा करने की पुष्टि करें []

हस्ताक्षर की तारीख [] (दिन/मास/वर्ष)

(ग) प्ररूप संख्या आईएनसी-11 में, 'कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का नियम 8' शब्दों और अंकों को 'कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का नियम 18' शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(घ) प्ररूप संख्या आईएनसी-27 के लिए, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप संख्या आईएनसी-27

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और धारा 18 तथा कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 33, नियम 37 और नियम 39 के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में अथवा प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलना और असीमित देयता कंपनी को शेयरों द्वारा या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में बदलना या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में बदलना

प्ररूप की भाषा o अंग्रेजी o हिंदी

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें ।

1. *निम्न के लिए आवेदन o प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदलना

o पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलना

o असीमित देयता कंपनी को शेयरों द्वारा या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में बदलना

o गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में बदलना।

2. *(क) कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) पूरित

(ख) वैश्विक अवस्थिति संख्या

3. (क) कंपनी का नाम

(ख) पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) कंपनी की ई-मेल आईडी

4. * परिवर्तन के कारण

5.* कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के समक्ष प्ररूप एमजीटी.14 भरने संबंधी विशिष्टियां

(क) प्ररूप एमजीटी-14 की एसआरएन

(ख) विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ग) प्ररूप एमजीटी-14 भरने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

6. *अधिकरण के आदेश की विशिष्टयां

(क) आदेश पारित करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ख) आदेश प्राप्त होने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

7.(क) *निगमन के समय कंपनी का नाम (प्रमाण-पत्र में दर्शाया जाना है)

(ख) *परिवर्तन के बाद कंपनी की श्रेणी

IndiaCode

8. (क) जिस बैठक में परिवर्तन का निर्णय लिया गया था उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(ख) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(ग) जिन सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

(घ) जिन सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया उनका ब्यौरा और उनके शेयरों की संख्या

(i) * सदस्यों की संख्या

(ii) उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या

संलग्नक **अनुलग्नकों की सूची**

1. *सदस्यों की बैठक का कार्यवृत्त; संलग्न करें
2. *परिवर्तित संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रति; संलग्न करें
3. विलम्ब के लिए माफी हेतु आदेश; संलग्न करें
4. *विशेष संकल्प की प्रति; संलग्न करें
5. * समाचार प्रकाशन की प्रति; संलग्न करें
6. अधिकरण का आदेश; संलग्न करें
7. *नियम 37(3) (ड) के अनुसार सभी निदेशकों की घोषणा; संलग्न करें
8. *नियम 37(3) (छ) के अनुसार निदेशकों की घोषणा; संलग्न करें
9. *ऋणदाताओं और डिबेंचर धारकों की पूरी सूची; संलग्न करें
10. ऋण शोधन की घोषणा; संलग्न करें
11. *नियम 37 (4) के अनुसार शिकायत न करने संबंधी घोषणा; संलग्न करें
12. *सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र की एक प्रति; संलग्न करें
13. वैकल्पिक संलग्नक (यदि कोई हो) संलग्न करें

अनुलग्नक हटाएं

IndiaCode

घोषणा

मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही एवं पूर्ण है। कंपनी ने संबंधित प्राधिकरणों, विभागों और महत्वपूर्ण ऋणदाताओं से सभी अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं । मुझे कंपनी के निदेशक मंडल के दिनाँक * [] (दिन/माह/वर्ष) के संकल्प संख्या * [] के द्वारा यह आवेदन हस्ताक्षरित और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

निम्नलिखित द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित किया जाना है डीएससी बॉक्स

*पदनाम []

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; अथवा []

प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; अथवा

कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

IndiaCode

पेशेवर द्वारा की गई घोषणा और प्रमाणन

मैं ----------, ---------- का सदस्य जिसका कार्यालय* ---------- ------ में स्थित है और जो कंपनी के परिवर्तन के कार्य में लगा हुआ है, यह घोषणा करता हूं कि मैं इस प्ररूप के प्रमाणन के प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से नियुक्त हूं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और इसके नियमों को इस प्ररूप के विषयवस्तु और इससे संबंधित मुद्दों के लिए पढ़ा है और ऊपर दिए ब्यौरों, (अनुलग्नक शामिल है) जो इस प्ररूप की विषयवस्तु हैं, को आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलिखित के साथ सत्यापित किया है और उन्हें सत्य, सही और संपूर्ण पाया है और इस प्ररूप की किसी सूचना को छुपाया नहीं गया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि :

(i) कंपनी परिवर्तन के लिए पात्र है और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई निर्हता नहीं रखती; और

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इसके अंतर्गत बने नियम, जो कंपनी का असीमित देयता से सीमित देयता में परिवर्तन से संबंधित हैं और इसके पूर्ववर्ती या आनुषंगिक मामलों को संकलित कर लिया गया है। उक्त अभिलेखों को उचित रूप से तैयार कर कंपनी के अपेक्षित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर कर लिया गया है और इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार रखा गया है और उन्हें क्रमबद्ध रूप में पाया गया है;

(iii) मैंने इस प्ररूप के सभी अनुलग्नकों को देखा है और इन्हें आवश्यकता के अनुसार संपूर्ण और स्पष्ट पाया है;

(iv) मुझे जानकारी है कि मैं गलत प्रमाणन, यदि किसी स्तर में पाया गया, के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हूं।

*0 चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक सेवा) या 0 लागत लेखाकार (पूर्णकालिक सेवा) या

0 कंपनी सचिव (पूर्णकालिक सेवा)

*क्या सहयोगी या साथी है O सहयोगी O साथी

*सदस्य संख्या

व्यवसाय संख्या का प्रमाण पत्र

टिप्पणी : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमश: झूठे विवरण/प्रमाण-पत्र के लिए दंड और झूठे साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

कार्यालय प्रयोग के लिए ई-स्टांप और दायर किया गया ब्यौरा संलग्न करें

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

इस ई-प्ररूप को एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर जमा पुष्टि करें

हस्ताक्षर की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

IndiaCode

(च) प्रपत्र संख्या आईएनसी-29 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं.1/13/2013 सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड (3), उप-खंड (i) में सा.का.नि. 250(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसका पश्चातवर्ती संशोधन किया गया-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 349(अ)	01-05-2015
2.	सा.का.नि. 442(अ)	29-05-2015
3.	सा.का.नि. 99(अ)	22-01-2016
4.	सा.का.नि. 336(अ)	23-03-2016
5.	सा.का.नि. 743(अ)	27-07-2016
6.	सा.का.नि. 936(अ)	01-10-2016

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2016

G.S.R. 1184(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Fifth Amendment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the 1st day of January, 2017.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules),

3. In the principal rules,

(a) in rule 4, in sub-rule (2), for the words and figures 'such nomination in Form No. INC-2 along with consent of such nominee obtained in Form No. INC-3' the words and figures 'such nomination in Form No. INC-32 (SPICe) along with consent of such nominee obtained in Form No. INC-3' shall be substituted.

(b) in rule 10, for the words and figures 'Form No. INC-7' the words and figures 'Form No. INC-7 or Form No. INC-32(SPICe)' shall be substituted.

(c) in rule 12, for the words and figures 'Form No. INC-2 (for One Person Company) and Form No. INC-7 (other than One Person Company)' the words and figures 'Form No. INC-7 (Part I company and company with more than seven subscribers) and Form No. INC-32 (SPICe)' shall be substituted.

(d) rule 36 shall be omitted.

(e) for rule 38, the following rule shall be substituted, namely:-

"38. Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically (SPICe).-

(1) The application for incorporation of a company under this rule shall be in FORM No. INC-32 (SPICe) alongwith e-Memorandum of Association (e-MOA) in Form No. INC-33 and e-Articles of Association (e-AOA) in Form No. INC-34.

Provided that in case of incorporation of a company falling under section 8 of the Act, FORM No. INC-32 (SPICe) shall be filed along with FORM No. INC-13 (Memorandum of Association) and FORM No. INC-31 (Articles of Association) as attachments.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the application for allotment of Director Identification Number upto three Directors, reservation of a name, incorporation of company and appointment of Directors of the proposed **for One Person Company, private company, public company and a company falling under section 8 of the Act**, shall be filed in **FORM No. INC-32 (SPICe),** , with the Registrar, within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated along with the fee of **rupees five hundred** in addition to the registration fee as specified in the Companies (Registration of Offices and Fees) Rules, 2014:

Provided that where an applicant has applied for reservation of a name under Rule 9 and which has been approved therein, he may fill the reserved name as proposed name of the company.

(3) For the purposes of filing SPICe Form, the particulars of maximum of three directors shall be allowed to be filled in FORM No. INC-32 (SPICe), and allotment of Director Identification Number of maximum of three proposed directors shall be permitted in FORM No. INC-32 (SPICe) in case of proposed directors not having approved Director Identification Number.

(4)The promoter or applicant of the proposed company shall propose only one name in FORM No. INC-32 (SPICe).

(5) The promoter or applicant of the proposed company shall prepare Memorandum of Association (e-MoA) in FORM No. INC-33 and Articles of Association (e-AoA) in FORM No. INC-34, in accordance with rule 13.

Provided that the subscribers and witness or witnesses shall affix their digital signatures to the e-MoA and e-AoA.

(6) For incorporation using application as provided in this rule, provisions of the sub-clause (i) of sub-section (5) of section 4 of the Act, rule 9, and clause (a) of sub-rule (1) of rule 16 to the extent of affixing recent photograph shall not apply.

(7) A company using the provisions of this rule may furnish verification of its registered office under sub-section (2) of section 12 of the Act by filing FORM No. INC-32 (SPICe) in which case the company shall attach along with such FORM No. INC-32 (SPICe), any of the documents referred to in sub-rule (2) of rule 25.

(8) FORM No. INC-22 shall not be required to be filed in case the proposed company maintains its registered office at the given correspondence address.

(9) (a) Where the Registrar, on examining FORM No. INC-32 (SPICe), finds that it is necessary to call for further information or finds such application or document to be defective or incomplete in any respect, he shall give intimation to the applicant to remove the defects and re-submit the e-form within fifteen days from the date of such intimation given by the Registrar.

(b) After the resubmission of the document, if the registrar still finds that the document is defective or incomplete in any respect, he shall give one more opportunity of fifteen days to remove such defects or deficiencies.

Provided that the total period for re-submission of documents shall not exceed thirty days.

(10) The Certificate of Incorporation of company shall be issued by the Registrar in Form No. INC-11.".

4. In the principal rules ,-

(a) Form No. INC-2 shall be omitted;

(b) for Form No. INC-7 the following form shall be substituted, namely:-

FORM NO. INC-7
[Pursuant to Section 7(1) of the Companies Act, 2013 and pursuant to Rule 10, 12, 14, and 15 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Application for Incorporation of Company (Part I company and company with more than seven subscribers)

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Service Request Number (SRN) of Form INC-1 Pre-Fill

2. (a) Name of the company:

(b) Type of Company is (c) Class of Company

(d) Category (e) Sub category

(f) Section 8 license number

*(g) Company is O Having share capital O Not having share capital

3. (a) Name of the state/Union territory in which the company is to be registered

(b) Name of the office of the Registrar of Companies in which the company is to be registered

(c) *Whether the address for correspondence will be the address of Registered office of the Company

o Yes o No

(d) Address for correspondence till the registered office of the company is established

*Line I
Line II
*City
*State/Union Territory
*District *Pin code
ISO Country code
Country
*Phone (With STD/ISD code) -
Fax

IndiaCode

*email ID of the company

4. I. *Capital structure of the company

(a) Authorized capital of the company (in Rs.)

(i) No. of classes of equity shares Total number of equity shares

Total amount of equity shares (in Rs.)

Number of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares

(ii) No. of classes of preference shares Total number of preference shares

Total amount of preference shares (in Rs.)

Number of preference shares	Nominal amount per preference share	Total amount of preference shares

(b) Subscribed capital of the company (in Rs.)

(i) No. of classes of equity shares Total number of equity shares

Total amount of equity shares (in Rs.)

Number of equity shares	Nominal amount per equity share	Total amount of equity shares

(i) No. of classes of preference shares Total number of preference shares

Total amount of preference shares (in Rs.)

Number of preference shares	Nominal amount per preference share	Total amount of preference shares

II. *Details of number of members

(a) Enter the maximum number of members

(b) Maximum number of members excluding proposed employees

(c) Number of members

(d) Number of members excluding proposed employee(s)

IndiaCode

5. *Main division of industrial activity of the company

Description of the main division

6. *(a) Whether the proposed company shall be conducting any activities which require approval from any sectoral regulator (Like RBI in case of NBFI and Banking activities) to commence such activities o Yes o No

(b) If yes, please enter the name of such Regulatory authority and proposed activity

7. *Enter the number of promoters (first subscribers to the Memorandum of Association (MOA) No.

Particulars of Promoters (first subscribers to the MOA)

*Category

* Director Identification number(DIN) or Income –tax permanent account number (Income- tax PAN) or passport number or corporate identity number(CIN) Or foreign company registration number(FCRN) or any other registration number

Pre-Fill Verify Details

*First Name

Middle Name

*Surname

Family Name

*O Father's Name o Mother's Name o Spouse's name

*Nationality *Date of Birth

*Gender □ Male □ Female □ Transgender

*Place of Birth (District & State)

*Occupation type

*Area of Occupation

*Educational qualification

*Name of the entity

Income tax permanent Account Number (PAN)

Permanent Address/Registered address/Principal place of business

*Line I

Line II

*City

*State /Union Territory *Pin code

*ISO Country code

Country

*Phone (With STD/ISD code) -

Mobile

*email id

*Whether present address is same as the permanent address o Yes o No

Present Address

*Line I

IndiaCode

Line II

*City

*State/Union Territory *Pin code

*ISO Country code

Country

*Phone(With STD/ISD code)

Mobile

Fax

*Duration of stay at present address ears onths

If Duration of stay at present address is less than one year then address of previous residence

*Proof of identity

*Residential Proof

If already a director or promoter of a company(s), specify details of such company(s) (In case director or promoter in more than three companies, attach seperate sheet as an optional attachment)

Director Promoter CIN

Name of the company

Director Promoter CIN

Name of the company

Director Promoter CIN Pre-fill all

Name of the company

IndiaCode

* Number of shares subscribed Total amount of shares subscribed (in Rs.)

* Particulars of authorised person

(a) Name of the authorised person

(b) O Father's Name o Mother's Name o Spouse's name

(c) Gender o Male o Female o Transgender

(d) Nationality (e) Date of Birth

(f) Phone (With STD/ISD code) -

(g) email ID

8. (a) *Whether the Articles are entrenched or not o Yes o No

(If yes, entrenched Articles should be annexed thereto)

(b) Number of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

Details of Articles to which provisions of entrenchment shall be applicable

Sl. No.	Article Number	Content

9. Particulars of payment of stamp duty

(a) State or Union territory in respect of which stamp duty is paid or to be paid [] Pre-Fill

(b) *Whether stamp duty is to be paid electronically through MCA21 system ◯ Yes ◯ No ◯ Not applicable

(i) Details of stamp duty to be paid

Type of document/ Particulars	Form INC-7	Memorandum of association	Articles of association
Amount of stamp duty to be paid (in Rs.)			

(ii) Provide details of stamp duty already paid

Type of document/ Particulars	Form INC-7	Memorandum of association	Articles of association	Others
Total amount of stamp duty paid (in Rs.)				
Mode of payment of stamp duty				
Name of vendor or Treasury or Authority orany other competent agency authorised to collect stamp duty or to sell stamp papers or to emboss the documents or to dispense stamp vouchers on behalf of the Government				
Serial number of embossing or stamps or stamp paper or treasury challan number				
Registration number of vendor				
Date of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty (DD/MM/YYYY)				
Place of purchase of stamps or stamp paper or payment of stamp duty				

IndiaCode

10. Additional Information for applying Permanent Account Number (PAN) and Tax Deduction Account Number (TAN)**

Information specific to PAN

Area code			AO type		Range code			AO No.			

Information specific to TAN

Area code	AO type	Range code	AO No.

Source of Income

□ Income from Business/profession □ Capital Gaines □ Income from house property

□ Income from other source □ No Income

Business/Profession code

11. Additional Information for Employer registration under Employee State Insurance Corporation (ESIC)

Type of Unit □ Factory □ Establishment

Exact nature of Work/ Business carried on: Drop Down

Work Sub category: Drop Down

**** This information is mandatorily required to be filled in case of applicants desirous of applying for PAN and or TAN at the time of incorporation of a company. This facility is available at the e-Biz portal only as per separate procedure prescribed by e-Biz portal.**

IndiaCode

Attachments

1)	*Memorandum of association	Attach
2)	*Articles of association	Attach
3)	*Declaration in Form No. INC-8	Attach
4)	*Affidavit from each of the subscriber to the memorandum in Form No. INC-9	Attach
5)	*Proof of residential address	Attach
6)	Specimen Signature in Form No. INC-10	Attach
7)	Proof of identity	Attach
8)	Entrenched Articles of association	Attach
9)	Copy of In-principle approval granted by the RBI or any concerned authority	Attach
10)	NOC in case there is change in the promoters (first subscribers to Memorandum of Association)	Attach
11)	Proof of nationality (in case the subscriber is a foreign national)	Attach
12)	PAN card (in case of Indian national)	Attach
13)	Copy of certificate of incorporation of the foreign body corporate and registered office address	Attach
14)	Copy of resolution/consent by all the partners or board resolution authorizing to subscribe to MOA	Attach
15)	Optional attachment, if any	Attach

Declaration

I []
a person named in the articles as a director declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect to the registration of the company and matters precedent or incidental thereto have been complied with. I am authorized by other promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association and the first directors to give this declaration and to sign and submit this Form. It is further declared and verified that:

1. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.
2. All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
3. [], *a/an* [] having Membership number [] and/or certificate of practice number [] has been engaged to give declaration under section 7(1) (b) and such declaration is attached.

*To be digitally signed by DSC BOX

Designation []

*Director Identification Number []

Note: Attention is drawn to provisions of section 7(5) and 7(6) which, *inter-alia*, provides that furnishing of any false or incorrect particulars of any information or suppression of any material information shall attract punishment for fraud under Section 447. Attention is also drawn to provisions of section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

Modify | Check Form | Prescrutiny | Submit

For office use only: Affix filing details

eForm Service request number (SRN) [] eForm filing date [] (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer [] Confirm submission

Date of signing [] (DD/MM/YYYY)

(c) in Form No. INC-11, for the words and figures 'rule 8 the Companies (Incorporation) Rules, 2014', the words and figures 'rule18 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014' shall be substituted

(d) For Form No. INC-27, the following form shall be substituted, namely:-

FORM NO. INC-27
[Pursuant to section 14 and 18 of the Companies Act, 2013 and Rule 33, Rule 37 and Rule 39 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Conversion of public company into private company or private company into public company and Conversion of Unlimited Liability Company into a Company Limited by shares or guarantee or conversion of guarantee company into a company limited by shares

Form language o English o Hindi
Refer the instruction kit for filing the form.

1. *Application for o Conversion of private company into public company
o Conversion of public company into private company

o Conversion of Unlimited Liability Company into Company Limited by shares or guarantee

o Conversion of company limited by guarantee into a company limited by shares

2. *(a) Corporate identity number (CIN) of company **Pre-fill**

(b) Global Location Number

3. (a) Name of the Company

(b) Address of registered office

(c) email Id of the company

4. *Reason(s) for conversion

5. *Particulars of filing Form MGT-14 with Registrar of Companies (ROC)

(a) SRN of Form MGT-14

(b) Date of passing the special resolution (DD/MM/YYYY)

(c) Date of filing Form MGT-14 (DD/MM/YYYY)

6 *Particulars of the order of Tribunal

(a) Date of passing the order (DD/MM/YYYY)

(b) Date of receiving the order (DD/MM/YYYY)

7. (a) *Name of the company at the time of incorporation (to be displayed in the certificate)

(b) *Category of the company after conversion

8. (a) Details of members present at the meeting where the decision of conversion was taken and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii) Number of shares held by them

(b) Details of the members who voted in favour of the proposal and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii) Number of shares held by them

(c) Details of the members who voted against the proposal and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii) Number of shares held by them

IndiaCode

(d) Details of members who abstained from voting and number of shares held by them

(i) *Number of members

(ii) Number of shares held by them

Attachments **List of attachments**

1. *Minutes of the members' meeting;
2. *Copy of Altered Memorandum, Articles of Association;
3. Order for condonation of delay if any;
4. *Copy of special resolution;
5. *Copy of Newspaper publication;
6. Order of Tribunal;
7. *Declaration of all Directors as per Rule 37(3)(e);
8. *Declaration of all Directors as per Rule 37(3)(g);
9. *Complete list of creditors and debenture holders;
10. Declaration of Solvency;
11. Declaration regarding no complaints as per Rule 37(4);
12. *A Copy of Statutory Auditors Certificate;
13. Optional attachment(s) (if any)

Remove attachment

Declaration

To the best of my knowledge and belief, the information given in this application and its attachments are correct and complete. The company has obtained all the mandatory approvals from the concerned authorities, departments and substantial creditors. I have been authorized by the board of directors' resolution number. dated * (DD/MM/YYYY) to sign and submit this application.

To be digitally signed by DSC BOX

*Designation

*Director identification number of the director; or
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of Company secretary

Declaration and Certification by Professional

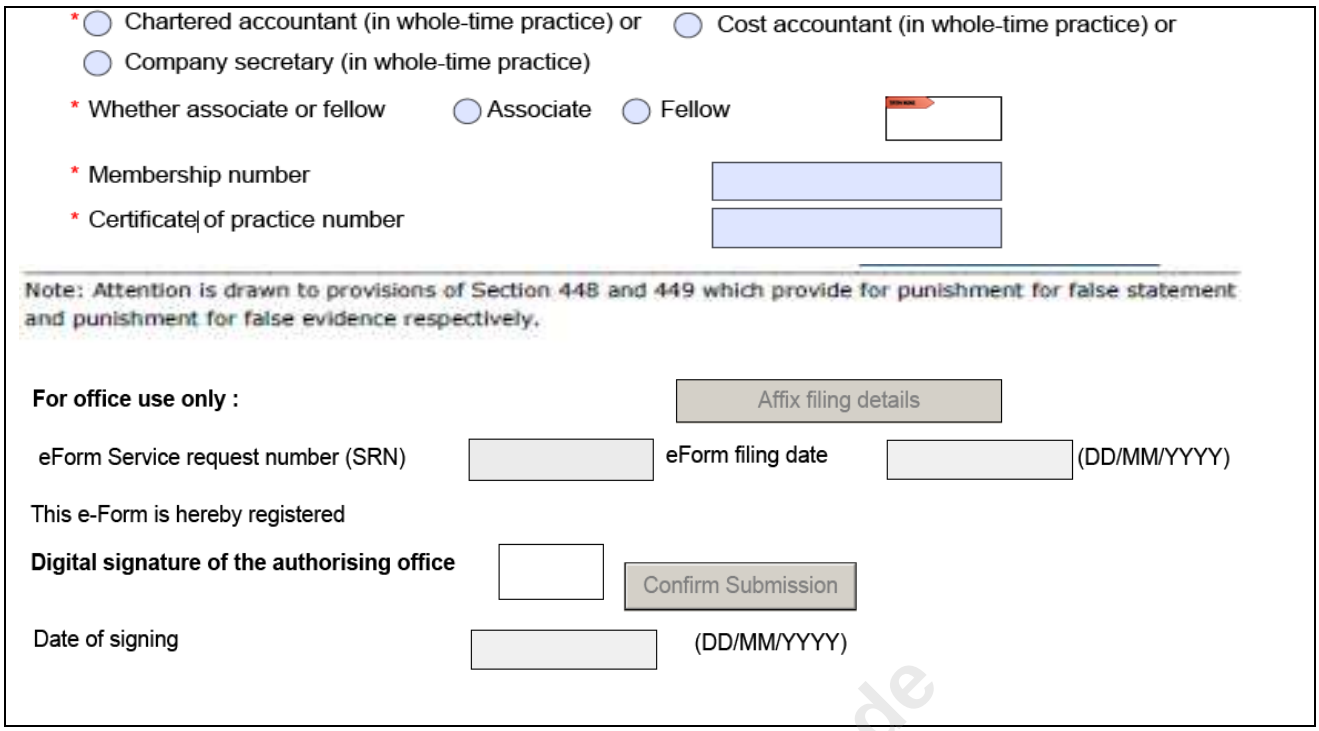
I,
member of
having office at *
who is engaged in the conversion of the company, declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby also certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed. I further certify that;

(i) The company is eligible for conversion and does not attract any disqualification as specified under rule 8 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, and

(ii) All the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder relating to conversion of the company from unlimited liability to limited liability and matters precedent or incidental thereto have been complied with. The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

(iii) I have opened all the attachments to this form and have verified these to be as per requirements, complete and legible;

(iv) It is understood that I shall be liable for action under Section 448 of the Companies Act, 2013 for wrong certification, if any found at any stage.



(e) FORM No. INC-29 shall be omitted.

[F. No. 1/13/2013 CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 250(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Sl. No.	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349(E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442(E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99(E)	22-01-2016
4.	G.S.R.336(E)	23-03-2016
5.	G.S.R.743(E)	27-07-2016
6.	G.R.R.936(E)	01-10-2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2017.01.04 11:41:33 +05'30'